

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 112/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. बंशी लाल आत्मज नारू माली निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मांगी लाल आत्मज नारू माली निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. पारस आत्मज नारू माली निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. चान्दीदेवी पत्नि गोपी माली निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. नाथीदेवी पुत्री गोपी माली निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. पानीदेवी आत्मज मोहन माली निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. अमरा आत्मज गिरधारी माली निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. भैरा आत्मज गिरधारी माली निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश आत्मज नारू माली निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सोहन आत्मज कस्तुर सुथार निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. लेहरू आत्मज केशु सुथार निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. लादू आत्मज जेराम धोबी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. महेन्द्र सिंह —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा जागीर पटवार हल्का नान्दशा जागीर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 799 रकबा 0.21 हैक्ट., भूमि राजस्व खाता संख्या 338 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी स0 1 की उक्त आराजियात के चारो तरफ कोई मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मवेशी वगैरा चराने में दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षी संख्या 1 सहखातेदार होने व उसके बाहर गांव चले जाने की वजह से तथा विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 प्रार्थीगण एवं विपक्षी स0 1 की उक्त आराजी के पड़ौसी होन से उन्हे पक्षकार बनाये गये है। प्रार्थीगण ने विपक्षरीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा लेकिन वे टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थीगण दिनांक 18.12.2018 को अन्तिम बार विपक्षीगण को पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन वे

इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 26.12.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजूद सुचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम नान्दशा जागीर पटवार हल्का नान्दशा जागीर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 799 रकबा 0.21 हैक्ट., भूमि राजस्व खाता संख्या 338 पर स्थित हैं। उक्त आराजियात की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 100/- अक्षरे एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।


गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा